

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-153/2007

जीसीएमएस नं. 2007/00081

हेमराज गुर्जर (आरएएस)

दायर दिनांक:- 03.10.2007

उनवान

जुबेदा बेबा खलील जाति मुसलमान निवासी हाडौली तहसील हिण्डौन  
जिला करौली राज0

वादीगण-04

बनाम

कदीर पुत्र बशीर जाति मुसलमान निवासी काजी पाडा कस्बा हिण्डौन  
जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण-09


दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरस्ती, तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 25.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 136, 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 19.02.2024 से कायम मुकाम में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 153/2007 जुबेदा बनाम कदीर बगै0 अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन